

( नियम 26 )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

शामपाल बनाम अजय (कोट)

किस्म मुकदमा शा.पत्र 111-120 नं० 155 सन 2021

| दिनांक   | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|----------|---|--|
| 27/10/21 | <p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 24.11.21 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल</p> <p>27/10/21 पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 के मध्य गण्ड पंच. नीम का खेड़ा में पेश हुई, अप्रयोग के लम्बे काद व अधिकार प्राप्त हुए जिसे शा.पत्र किये गये। प्रार्थी उपलब्ध। तहसीलदार माण्डल पटवार हल्का पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को शा.पत्र किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सुपट से लिखा जाकर शा.पत्र किया गया। पत्रावली फैसल शुभार लेख नम्बर से कम हो।</p> |  |

डॉ. पूजा सुक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 155/21 प्र.पत्र

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

1- श्री रामपाल ड/0 श्री अंकुश शिवासी- बलारिखेड़ा तहसील - मांडल --प्रार्थी

बनाम  
1- श्री अजय चवला ड/0 मेवाराम चवला स्वरीफ निवारी 65-A चवला घिला  
शुभापनगर भीरवाड़ा तहसील - भीलवाड़ा (काँरा) --विपक्षीगण  
(सिद्धिप्रसाद-पत्र सत्यांग)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 24-11-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..... बलारिखेड़ा ..... पटवार हल्का..... मांडल ..... तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 9589/3135, 3135 ..... कुल किता ..... 02 ..... रकबा..... 0.6070 हेक्टेयर..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27-10-21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण का अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... बलारिखेड़ा ..... पटवार हल्का..... मांडल ..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 9589/2135, 3135 ..... कुल किता ..... 02 ..... रकबा..... 0.6070 हेक्टेयर.....

भूमि के चासे तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... मांडल ..... को ..... 500/-/- ..... रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु की आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराये जाने से पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी मांडल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021